International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197
Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 1083-1084

कामतानाथ के उपन्यासों में नारी स्वातंत्र्य

अंजली रानी
Assistant Professor, Manohar Memorial P. G. College, Haryana, India

प्रस्तावना

यदि स्वतंत्रता अधिकारों की प्राप्ति है तो नारी–स्वातंत्र्य का अर्थ हुआ – नारी द्वारा अपने अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति करना। कौल के अनुसार, 'बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का नाम स्वातंत्र्य है।' स्वातंत्र्य के बारे में लास्की ने भी कहा है कि 'स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त हों।' नारी को स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने के लिए संविधान द्वारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, सम्पति व शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करना ही नारी–स्वातंत्र्य कहलाता है। स्वतंत्र राष्ट्र की नागरिक होने के नाते नारी को प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात् राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होना ही नारी–स्वातंत्र्य है।

कामतानाथ हिन्दी–साहित्य के एक मूर्धन्य साहित्यकार है। इनका जन्म लखनऊ के मध्यमवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता की आर्थिक दशा कमजोर होने के बावजूद भी इन्होने अंग्रेजी–साहित्य में एम.ए. की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की जो इनकी मेहनत व लगनशीलता की परिचायक है। कुछ समय तक अध्यापन कार्य करने के बाद वे रिजर्व बैंक की सेवा में आ गए और बैंक–कर्मचारी आन्दोलन से सम्बद्ध हो गए। मजदूर आन्दोलनों से हिस्सेदारी के कारण ही इन्हे जेल जाना पड़ा। लम्बे समय तक नौकरी से निलंबित रहे तथा जनवरी 1982 में मजदूरों, बैंक–बीमा कर्मियों तथा सरकारी हड़ताल का नेतृत्व करते हुए पुलिस बर्बरता का शिकार होकर गम्भीर रूप से घायल हुए। आठवें दशक में प्रकाशित उनका उपन्यास 'एक और हिन्दुस्तान' उनके इन्ही अनुभवों पर आधारित है। इन्होने कई नाटक, उपन्यास व कहानी–संग्रह लिखे हैं। इनका 'तीसरी–सांस' कहानी–संग्रह तथा 'एक और हिन्दुस्तान' उपन्यास कई वर्षों तक मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्नातकोतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल रहे। सरकार द्वारा इनको अनेक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इन्होने कई साहित्यिक–पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। इन्हे हिन्दी के अलावा उर्दू व अंग्रेजी साहित्य का भी ज्ञान है। लघु शोध–प्रबंध के लिए प्रस्तुत इनका उपन्यास 'तुम्हारे नाम' आठवें दशक में प्रकाशित बिल्कुल अलग भाव–भूमि की रचना है। हिन्दी के अब तक लिखे गए प्रेम–उपन्यासों से भिन्न यह नारी जीवन की एक ऐसी त्रासद कथा है जो पाठकों को तकलीफ और बेचैनी की हद तक उद्वेलित करती है। यह उपन्यास दो युवा हृदयों का उद्दाम प्रेम–कथा तो है ही, साथ ही पारंपरिक भारतीय समाज की वह व्यथा–कथा भी है जहां प्रेम जैसी सुकोमल, स्वाभाविक, मानवीय कृतियों एवं नारी–स्वातंत्र्य पर कड़ा पहरा है।

भारत में प्रत्येक काल में नारी को स्वतंत्रता प्राप्त थी। वैदिक युग में नारी–पुरूष की अर्धागिनी थी। उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। पुरूष की भांति उसे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। इस युग में गार्गी तथा सुलभा आदि विदुषियों के ऋषियों से वैदिक विषयों पर विवाद करने का उल्लेख भी मिलता है। उत्तरवैदिक युग में नारी की दशा सोचनीय थी। इस युग में बहुपत्नीत्व प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन था लेकिन फिर भी नारी स्वतंत्र थी। उसे बाध्य नहीं किया जाता था। पौराणिक काल में भारत की नारी में स्वतंत्र शक्ति का ह्रास हो चुका था। लेकिन नारी को उसके पति की सम्पति की अधिकारिणी जरूर माना जाता था। जैन काल में नारी के मातृरूप को अत्यंत आदर प्रदान किया गया। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 19वीं मल्लीनाथ स्वयं स्त्री थी। इस काल की उच्च कुल की नारियों में शिक्षा का प्रचलन था तथा उनमें स्वातंत्र्य का हास नहीं था। बोद्ध काल में भी नारी धार्मिक रूप से स्वतंत्र थी। बुद्ध–द्वार विधवा, पतिता और वेश्या आदि सभी के लिए खोले गए। पूर्वमध्यकाल में बहुपत्नीत्व प्रथा और अन्तर्जातीय विवाह प्रचलति थे। इस काल में स्वयंवर की प्रथा थ्झी। इस काल में नारी आर्थिक रूप से परतंत्र थी। उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। नारी धार्मिक और राजनैतिक अधिकारों से भी वंचित थी। मध्यकाल तक आते–आते भारतीय नारी अशिक्षा, बाधित, वैधव्य व बहुपत्नीत्व का शिकार हो चुकी थी। इस समय पर्दा–प्रथा का भी प्रचलन था पर वह धीरे–धीरे समाप्त हो रही थी। नारी धार्मिक व राजैनतिक अधिकारों से इस काल में वंचित रही। उत्तर मध्यकाल में नारी का चतुर्दिक तिरस्कार एवं शोषण हो रहा था। सन्त और भक्तजन भी नारी को घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक स्थान पर संत कबीर ने स्वयं कहा भी है किः–

''नारी की झांई परत, अन्धा होत भुजंग।
कबिरा तिनकी का गति, ते नित नारी के संग।।''

भक्त प्रवर संत शिरोमणि व कवि श्रेष्ठ तुलसीदास ने भी कहा हैः–

''ढोल, गंवार, शुद्र, पश, नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी''।।

इस युग में सर्वत्र नारी–स्वातंत्रय का हनन हो रहा था। आधुनिक युग में कदम रखते ही भारतीय नारी ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष आरम्भ कर दिया। सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया और नारी के लिए संघर्ष–शक्ति का प्रतीक बनी जो आज भी भारतीय नारी में स्वातंत्रय चेतना का संचार कर रही है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में नारी की दशा में विशेष सुधार नहीं हो सका परन्तु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नारी की दुर्दशा निवारण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के प्रयत्न पर्याप्त मात्रा में हुए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज आदि संस्थाओं ने नारी–कल्याण हेतु अनेक प्रयत्न किए। सन् 1815 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसमें राजनैतिक कार्यक्रम के साथ नारी–कल्याण एवं उत्थान का कार्य भी संभाला। 20वीं शताब्दी नारी के लिए स्वातंत्रय एवं जागरण का संदेश देने वाली दूती बनकर आई। इस काल में नारी अपने अधिकारों के प्रति

सजग हो गई और उसने शिक्षा की अनिवार्यता को जाना। इस काल में वेश्वयावृति उन्मूलन, सम्बन्ध–विच्छेद तथा नारी के सम्पति सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर कई वैधानिक सुधाार किए जाने लगे। 1904 ई0 में सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य में बाल–विवाह को रोकने का कानून बनाया तथा 1910 ई0 में 'सिविल मैरिज' कानून बनाया। सन् 1917 ई0 में श्रीमती बेसेंट कांग्रेस अध्यक्षा बनी। श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, कस्तूरबा गांधी, हंसा मेहता, अरूणा आसफ अली तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि महिलाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र में भी नारी–जागरण का शंखानंद गूंजा दिया। नारी उत्थान के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ जिनमें 'महिलाओं की भारतीय परिषद–1917', 'अखिल भारतीय महिला परिषद–1927', 'अखिल भारतीय शिक्षा कोष –1929, कस्तूरबा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट 1915 आदि विशेष रूप से कार्य करने के लिए उल्लेखनीय हैं। सन् 1921 में नारी को मताधिकार भी प्राप्त हुआ। सन् 1945 में विशेष विवाह कानून, 18 वर्ष की स्त्री और 21 वर्ष के पुरूष विवाह सम्बंध विच्छेद हो जाने पर दूसरा विवाह कर सकते हैं' के अन्तर्गत नारी को पुनर्विवाह की आज्ञा प्राप्त हुई। सन् 1946 में बम्बई सरकार ने 'हिन्दु बहुविवाह–निरोधक कानून लागू किया। सन् 1927 में भारतीय परिमितता अधिनियम (संशोधित) के अनुसार मृत पति की सम्पति पर उसकी विधवा पत्नी का अधिकार वैध मान लिया गया। सन् 1923 में बम्बई सरकार द्वारा 'बम्बई वेश्वयावृति निरोधक कानून बनाया गया। इसके पश्चात् 1930 ई0 में क्रमशः मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब और मध्यप्रदेश में ऐसे कानून बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान में नारी की स्थिति आज जितनी सुधरी, संवरी एवं उत्कर्षमय प्रतीत होती है, व्यावहारिक जीवन में उतनी अच्छी नहीं है। ग्रामों और छोटी जातियों में आज भी मध्ययुगीन कुप्रथाओं जैसे – बाल–विवाह, अनमेल–विवाह, बहुविवाह तथा दहेज–प्रथा आदि का बोलबाला है। आज नारी को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है परन्तु नौकरी पेशा से नारियों का शोषण अभी जारी है। भारत में अधिकांश अशिक्षित नारियां श्रम द्वारा अर्योपार्जन करती है। स्वतंत्र भारत में नारी ने पूर्ण राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके इस क्षेत्र में पुरूषों का नेतृत्व किया है। परन्तु आज भारत की राजनीति का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि नारी भी राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता और शोषण का शिकार हो रही है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। समाज सुधारकों और सरकार द्वारा नारी को शिक्षित करने के अनथक प्रयास किए गए हैं परन्तु आज भी अधिकांश नारियां अशिक्षित है। नारी के यौन–शोषण के विपरित कितने ही सुधारात्मक कदम भारत सरकार ने उठाए हैं। वेश्वयावृति और देवदासी प्रथा सम्पर्ण भारत में समाप्त कर दी गई है परन्तु बेरोजगारी और महंगाई के घुटन भरे वातावरण में आर्थिक मुक्ति की झोंक में नारी अपना जीवन, अपने सम्मान और स्वाभाविक मूल्यों तक को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इस कम्प्यूटर के युग में शारीरिक शक्ति की अपेक्षा अन्य योग्यताएं अधिक कार्यकुशलता प्रदान करती हैं तो फिर पुरूष की तुलना में नारी पीछे क्यों? नारी–स्वतंत्र्य के लिए भारतीय समाज में सदा प्रयत्न होते रहे हैं और उन्हे और अधिक प्रभावशाली बनाना होगा। सन् 1975 का वर्ष सम्पूर्ण विश्व में 'महिला–वर्ष' के रूप में तथा सन् 1990 का वर्ष 'बालिका–वर्ष' के रूप में मनाया गया। समाचार–पत्रों में, पत्रिकाओं के विशेषंकाओं में तथा दूरदर्शन पर नारी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए गए। आज भारत के प्रत्येक छोटे–बड़े नगर में नारी–कल्याण से सम्बन्धित अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। भारतीय नारी की दयनीयता को गोरवान्वित दिखाने का लोभ अब भारतीय चित्रपट को भी त्यागना पड़ रहा है। भारतीय फिल्मों में सैंसर बोर्ड नारी–हित को अवश्य ध्यान में रखता है। नारी–स्वातंत्र्य चेतना के लिए सर्वाधिक प्रयत्नशील साहित्यकार, नारी–स्वांत्य भावनुभूति–तरंग को नारी हृदय में साहित्य के माध्यम से जागृत कर रहे हैं। प्रस्तुत उपन्यास 'तुम्हारे नाम' भी नारी–स्वतंत्रता पर आधारित है। उपन्यास की नायिका रीता और नायक मनोज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रीता, मनोज से शादी कर लेती है और दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। इससे नारी की सामाजिक–स्वतंत्रता और उसके विवाह–विषयक अधिकारों का पता चलता है। रीता के नाम उसके पिता ने बैंक में कुछ पैसे भी जमा करवा रखे थे और वह अपनी माँ के जेवर भी साथ ले जाती है जिससे उसकी सम्पति सम्बंधी स्वतंत्रता का पता चलता है। रीता एक पढ़ी–लिखी लड़की थी। इसने एम.ए. पास किया और लड़कियों के एक कॉलेज में लैक्चरार थी। इससे हमें इसकी शिक्षा सम्बंधी स्वतंत्रता का पता चलता है। रीता और मनोज दोनों अलग–अलग जातियों के हैं फिर भी दोनों ने विवाह किया। शादी के बाद हिन्दू धर्म के अनुसार लड़कियां सिन्दूर लगाती है। लेकिन रीता ऐसा नहीं करती। उपन्यास में जब रीता और मनोज अपने मित्र विजय के पास ठहरते हैं तो वहां से भी अण्डे खाते हैं। कई बार रीता और मनो शराब भी पीते चित्रित हुए हैं जबकि हिन्दू धर्म के अनुसार स्त्री ही नहीं बल्कि पुरूष भी शराब नहीं पी सकता और अण्डे व मांस आदि नहीं खा सकता। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि प्रस्तुत उपन्या समें अनेक स्थानों पर धार्मिक–स्वतंत्रता का चित्रण हुआ है। उपन्यास की नायिका रीता एम.ए. उत्तीर्ण करके लड़कियों के एक कॉलेज में लैक्चरार लग जाती है और वहीं होस्टल में रहने लगती है। वह अपने पांव पर खड़ी हो गई है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी। इससे हमें पता चलता है कि उपन्यास में नारी को वे सभी राजनैतिक अधिकार प्राप्त है जो एक भारतीय पुरूष को प्राप्त है। उपन्यास में वर्णित सभी घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'तुम्हारे नाम' उपन्यास की नायिका 'रीता' एक स्वतंत्र नारी है। उपन्यास में राजनैतिक स्वतंत्रता का छोड़कर अन्य सभी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नारी–स्वातंत्र्य के सन्दर्भ में यह उपन्यास खरा उतरता है और यह नारी–स्वातंत्र्य पर आधारित एक नवीनतम उपन्यास है जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि आज की भारतीय नारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी के बन्धन में नही है।

संदर्भ

1. डॉ0 आदर्श सक्सेना। हिन्दी के आंचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि, सूर्य प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर, प्र0सं0 1971।
2. डॉ0 कुंवरपाल सिंह। हिन्दी उपन्यास : सामाजिक चेतना, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली।
3. डॉ0 नगेन्द्र। हिन्दी साहित्य का इतिहास, संस्करण, 1979 ई0।
4. डॉ0 प्रेम भटनागर। हिन्दी उपन्यास शिल्प : बदलते परिपेक्ष्य, अर्चना प्रकाशन, जयपुर, सं0 1968 ई0।
5. डॉ0 प्रताम नारायण। हिन्दी उपन्यास कला, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ, 1965 ई0।
6. कालिका प्रसाद सहाय (सं.)। वृहद हिन्दी कोश, ज्ञान मण्डल लि., बनारस, प्र.सं. सम्वतृ 2009।
7. धीरेन्द्र वर्मा (सं.)। हिन्दी साहित्य कोश, ज्ञान मण्डल लि., बनारस, प्र.सं. सम्वतृ 185 ई0।
8. अथर्ववेद। सम्पादक विश्वबन्धु, प्रथम संस्करण।
9. ऋगवेद। सम्पादक विश्वबन्धु, प्रथम संस्करण।